P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-2* October- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

वर्तमान कृषि सुधार विधेयक एवं किसान आन्दोलन

Current agrarian Reform Bill and Peasant Movement

Paper Submission: 12/10/2020, Date of Acceptance: 28/10/2020, Date of Publication: 29/10/2020

राकेश कुमार
अर्थशास्त्र,
बी0आर0ए0 बिहार,
विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेती किसानी के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा कानून बनाए जाते रहे हैं जिससे अत्यधिक उत्पादन हो सके एवं किसानों को अपने उत्पादन से पर्याप्त आमदनी हो सके। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेहतर कृषि, अत्यधिक उत्पादन एवं किसानों को उसके लागत का दोगुणा फायदा साथ ही किसानों को तकनीक से जोड़ने एवं मनपसंद जगहों पर अपनी उत्पाद को बेचने संबंधी विधेयक पास किए हैं। ये विधेयक – पहला कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, दूसरा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 एवं तीसरा, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 शामिल है। सरकार का मानना है कि इस विधेयक से किसानों को काफी फायदा होगा और उन्हें फसल का पर्याप्त कीमत भी प्राप्त होगा जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विचौलियों से किसानों को छुटकारा भी मिल जायेगा। लेकिन किसान इन तीनों विधेयक के पास होने से काफी नाराज दिख रहे हैं। खासकर पंजाब हरियाणा के किसान इस विधेयक को वापस लेने के लिए आन्दोलनरत हैं। किसानों का मानना है कि सरकार कांटेक्ट फर्मिंग के जरीय मंडियों, अढ़तियों एवं मिनिमम सपोटिका प्राइस (MSP) को धीरे–धीरे समाप्त करना चाहती है। साथ ही किसानों के उत्पाद को बाजार के हवाले कर देना चाहती है। इसके अलावा आलू, प्याज आदि जैसे खाद्य पदार्थ को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने से कालाबाजारी एवं महंगाई काफी बढ़ जायेगी।

India is an agricultural country. Laws have been enacted by the government from time to time to cultivate farming here so that excessive production can be made and farmers can earn enough from their production. The Prime Minister of India has passed a bill by Narendra Modi for better agriculture, excessive production and farmers doubling the cost of it as well as connecting farmers with technology and selling their produce in the preferred places. These include - First Agricultural Produce Trade and Commerce (Promotion and Simplification) Bill, 2020, Second Farmers (Empowerment and Protection) Price Assurance Agreement and Agreement on Agricultural Services Bill 2020 and third, Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020. The government believes that this bill will greatly benefit the farmers and they will also get sufficient price for the crop, which will strengthen the Indian economy and also get rid of farmers from distractions. But the farmers are looking very upset with the passage of these three bills. Especially farmers of Punjab Haryana are agitating to withdraw this bill. Farmers believe that the government wants to gradually eliminate the brokering mandis, artisans and minimum suppotica prices (charities) of contact firming. Also wants to hand over the produce of the farmers to the market. Apart from this, removal of food items like potato, onion etc. from the list of essential commodities will increase black marketing and inflation significantly.

मुख्य शब्द : कृषि विधेयक 2020, बाजार, मंडियाँ, आवश्यक वस्तु, कांटेक्ट फार्मिंग।

Agriculture Bill 2020, Markets, Mandis, Essential Commodities, Contact Farming.

प्रस्तावना

भारत सरकार ने खेती एवं किसानी से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पास किए हैं। सरकार का मानना है कि आजादी के बाद का यह पहला विधेयक है जिसमें किसानों के हक की बात की गई है। इस विधेयक से किसानों की आमदनी दोगुणी हो जायेगी और किसान अपने उत्पाद को मनपसंद जगह पर बेच सकते हैं। सरकार द्वारा जो तीन विधेयक पारित किए गए हैं वे निम्न हैं –

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020

इस विधेयक के अनुसार एक ऐसी व्यवस्था की जायेगी जहाँ किसानों एवं व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। राज्य के अंदर एवं दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने से मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर लागत कम आयेगी।

कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषक सेवा पर करार विधेयक 2020

कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करना, कृषि उत्पादों की विक्री, फार्म सेवाओं, कृषि विजनेश फार्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए ये विधेयक सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जोखिम कम होगा। साथ ही मूल्य की अनिश्चितता से बचने में भी मदद करेगा। किसान को अत्याधुनिक तकनीक से बेहतर निवेश एवं विपणन लागत को कम करके अपनी आमदनी को दोगुणा करने में सफलता प्राप्त होगी। इस कानून के माध्यम से किसान को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (ए0पी0एम0सी0) यानि तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट होगी। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना। इस कानून के अनुसार किसानों से उनकी उपज की विक्री पर कोई सेस या फीस नहीं लगेगी जिससे किसानों को बचत होगी।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020

यह संशोधन आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955 में किया गया है। इस विधेयक में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा और बाजार में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।[1] सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादों को लक्ष्य से कहीं ज्यादा उत्पादित किया जा रहा है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा और आकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि पहले व्यापारी फसलों को किसानों से औने–पौने दामों पर खरीद कर उसका भंडारण कर लेते थे और किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश की कमी के कारण अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी जिससे किसान खेती–बारी से किनारा करते जा रहे थे। इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी व्यक्ति या संस्था को बेच सकते हैं। इस अध्यादेश में कृषि उपज एम0पी0एस0सी0 मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। कुल मिलाकर इस विधेयक के जरिये एक देश एक बाजार की बात की जा रही है। सरकार का कहना है कि विचौलिये जो किसान की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे उससे बचने के लिए ये विधेयक जरूरी था। इससे पहले ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा था, "किसानों के पास मंडी में जाकर लाईसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की विवशता क्यों? अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा।" सरकार का मानना है कि इससे किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोवारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाऐगा। विधेयकों का किसानों एवं विपक्षी दलों के घोर विरोध के कारण केन्द्र सरकार द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) बढ़ाने का निर्णय किया है।[2]

साहित्य अवलोकन

कोविड–19 महामारी के चलते केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गत 05 जून 2020 को अध्यादेश स्वीकृत किये गए थे। इन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में लोक सभा में प्रतिस्थापित करने के लिए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रस्ताव रखे थे जिस पर चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम विरला ने इसे पारित घोषित किया।[3]

सरकार द्वारा संसद में पारित किये गए कृषक ऊपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण), कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 एवं आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 इन तीनों विधेयकों का देश भर में व्यापक पैमाने पर विरोध हो रहा है। इस विरोध में पंजाब और हरियाण के किसान अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नये कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूँजीपत्तियों या कारपोरेट घरानों के हाथों में चला जायेगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। जिन उत्पादों पर किसानों को एम0एस0पी0 नहीं मिलती उन्हें वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल के उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा एफ0सी0आई0 द्वारा किया जाता है या एफ0सी0आई0 उसे खरीदता है। साल 2019–20 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीजन में केन्द्र द्वारा खरीदे गये करीब 341 मिट्रीक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रीक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब द्वारा किया गया था। आन्दोलकारियों का मत है कि एफ0सी0आई0 अब मंडियों से खरीदारी नहीं करेगी जिस कारण एजेंटों एवं आढ़तियों को करीब 2.5 प्रतिशत का घाटा होगा। साथ ही राज्यों को भी 6 प्रतिशत कमीशन का घाटा होगा। इसके अलावा मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या 30 हजार बतायी जाती है एवं करीब 3 लाख मंडी मजदूरों के साथ–साथ करीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी ये सबसे बड़ा झटका साबित होगा।[4]

आन्दोलनकारियों का मानना है कि कांट्रेक्ट फार्मिंग और अपनी फसलों को बाहर बेचने जैसी चीजें पहले भी होती रही है। यह विधेयक सिर्फ अंबानी, अडानी जैसे व्यापारियों को लाभ देने के लिए लाया गया है। यदि किसान कान्ट्रेक्ट फार्मिंग करता है और किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में वह सिर्फ एस0डी0एम0 के पास ही जा सकता है, जबकि पहले

किसान कोर्ट जा सकता था। इससे कंपनियों को खुली छूट मिल जायेगी। उसे किसी भी फसल की खरीद के लिए लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई प्राईवेट प्लेयर इस क्षेत्र में आ रहा है तो उसके लिए भी एम0एस0पी0 की व्यवस्था होनी चाहिए।[5]

एफ0सी0आई0 की कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए बनाई गई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 6 फिसदी किसान ही एम0एस0पी0 पर अपनी फसल बेच पाते हैं। इसमें भी हरियाणा और पंजाब के किसानों की बड़ी संख्या है। 2015–16 में हुई कृषि गणना के अनुसार देश के 86 फिसदी किसानों के पास छोटी जोत की जमीन है या यह वे किसान हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है। किसानों का मानना है कि प्राईवेट प्लेयर को कृषि क्षेत्र में लाने की योजना जब अमेरिका और यूरोप में फेल हो गई तो भारत में कैसे सफल होगी। वहाँ के किसान तब भी संकट में है जबकि सरकार उन्हें सब्सीडी भी देती है। किसानों का मानना है कि यदि प्राईवेट प्लेयर कृषि क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो सरकार उनके लिए विधेयक में एम0एस0पी0 भी अनिवार्य कर दे। अर्थशास्त्री भी यही मानते हैं कि इसे कानूनी रूप क्यों नहीं पहना दिया जाता कि इतने से कम दाम पर किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं होगी। यदि अमेरिका में ओपेन मार्केट इतनी अच्छी ढंग से कार्य कर रही होती तो सरकार को सब्सीडी देने की क्या जरूरत थी।[6]

मंडी शुल्क से मुक्त होने के कारण व्यापारियों और कंपनियों को स्वाभाविक रूप से मंडियों से बाहर खरीद के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मंडी का महत्व ही नहीं रहेगा। किसान भी मंडी से बाहर खरीद करने के लिए विवश होगा। ऐसे में बड़ी खरीदार कंपनियाँ किसानों का शोषण कर सकती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि जब कानून बन ही रहे हैं और मंडी के बाहर खरीद की अनुमति दी जा रही है तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो और उससे कम पर खरीद गैर कानूनी घोषित हो। यह भी कहा जा रहा है कि गैर कृषि औद्योगिक उत्पादों को कंपनियाँ स्वयं द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा कीमत (एम0आर0पी0) पर बेचती है जो उनकी उत्पादन लागत से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में किसानों को कम से कम अपनी लागत आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद बेचने की सुविधा होनी चाहिए चूकि किसानों को सौदेवाजी की क्षमता कम होती है। इसके अलावा किसान अपना उत्पाद बेचे तो से तुरंत ही भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसानों को अगला फसल लगाने में सहुलियत हो और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे।[7] पूर्ण विकसित बाजार अर्थव्यवस्थाओं में किसानों के लिए वायदा बाजारों से मूल्य आश्वासन की व्यवथा थी। लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि वायदा बाजार को अधिक तरल और कीमत निर्धारण को पारदर्शी बनाने की जरूरत है। तब तक के लिए एम0एस0पी0 के रूप में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस बात का भय है कि ए0पी0एम0सी0 को कमजोर किये जाने से एम0एस0पी0 की व्यवस्था खत्म हो जायेगी जिससे किसान आक्रोशित हैं और आन्दोलन पर उतारू हैं।[8]

अध्ययन का उद्देश्य

इस आलेख का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए कृषि से संबंधित विधेयक 2020 एवं इसके विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन की समीक्षात्मक अध्ययन करना है।

निष्कर्ष

उपरोक्त आलेखों से स्पष्ट है कि तीन नए कृषक विधेयक पारित किए गए। इसको लेकर सरकार और आंदोलनकारी विभिन्न किसान संगठनों के अपने–अपने तर्क हैं। सरकार का मानना है कि यह विधेयक किसान के लिए काफी लाभकारी होगा। इससे किसान अपने हित में खुद निर्णय ले सकेगा और अपने उत्पाद को मनचाहा जगह बेच सकता है। कांट्रेक्ट फार्मिंग के तहत किसान खेती कर अपनी आमदनी को दो गुणा तक बढ़ा सकता है और विचौलियों की भूमिका समाप्त हो जायेगी। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों का मत है कि सरकार किसानों को धोखा दे रही है और किसानों को कारपोरेट के हवाले कर रही है। कांट्रेक्ट फार्मिंग से किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जायेगा। जब किसान अपने खेत को बड़े–बड़े कंपनियों के हाथों में दे देगा तो वह खुद के खेत में उत्पादन न करने की स्थिति में उसी कंपनी से कई गुणा दामों पर खाद्यान का खरीद करने को मजबूर हो जायेगा। आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की सीमा समाप्त होने से स्टॉकर को कालाबाजारी का अवसर प्राप्त होगा जिससे कृत्रिम मंहगाई का वातावरण तैयार हो जायेगा और आम जनता महंगाई से त्रस्त हो जायेगी। साथ ही एम0एस0पी0 भी धीरे–धीरे समाप्त हो जाने से किसानों को अपना उत्पाद औने–पौने दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। इसमें सरकार और किसान संगठनों को एक साथ बैठकर बात करना चाहिए एवं किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु उचित कदम उठाना चाहिए।

संदर्भ–सूची

1. *www.bbc.com/hindi/india-54203758, 18 September 2020*
2. *www.m-hindi.webduniya.com/nationalhindi-news/ agriculture - bill-2020*
3. *www.financial express.com/hindi/india news/pm-modi-lauds-new-agriculture-bills.*
4. *www.bbc.com/hindi/india-54203758, 18 September 2020*
5. *www.bbc.com/hindi/india-54236236, 21 September 2020*
6. *उपरोक्त*
7. *epaper prabhat khabar.com/7/6192*
8. *उपरोक्त*